

**वित्त मंत्रालय**

**मांग संख्या 34**

**वित्तीय सेवा विभाग**

क. वसूलियाँ और प्राप्तियाँ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	200.00	3567.78	3767.78	200.00	8335.22	8535.22	...	7159.42	7159.42	200.00	7268.99	7468.99	
<b>पूँजी</b>	<b>14297.43</b>	<b>14.00</b>	<b>14311.43</b>	<b>15888.00</b>	<b>14.01</b>	<b>15902.01</b>	<b>14652.00</b>	<b>1.00</b>	<b>14653.00</b>	<b>15888.00</b>	<b>12.40</b>	<b>15900.40</b>	
<b>जोड़</b>	<b>14497.43</b>	<b>3581.78</b>	<b>18079.21</b>	<b>16088.00</b>	<b>8349.23</b>	<b>24437.23</b>	<b>14652.00</b>	<b>7160.42</b>	<b>21812.42</b>	<b>16088.00</b>	<b>7281.39</b>	<b>23369.39</b>	
1. सचिवालय – सामान्य सेवाएं	2052	...	14.04	14.04	...	15.07	15.07	...	21.62	21.62	...	19.81	19.81
<b>अन्य राजकोषीय सेवाएं</b>													
2. अन्य व्यय (विशेष न्यायालय एवं अभिरक्षक का कार्यालय)	2047	...	7.48	7.48	...	8.23	8.23	...	6.50	6.50	...	7.32	7.32
<b>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>													
3. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए अपीलीय प्राधिकरण	2070	...	2.23	2.23	...	2.53	2.53	...	2.32	2.32	...	2.50	2.50
4. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड	2070	...	9.69	9.69	...	12.34	12.34	...	9.97	9.97	...	11.82	11.82
5. ऋण वसूली न्यायाधिकरण	2070	...	43.44	43.44	...	44.25	44.25	...	51.50	51.50	...	67.50	67.50
6. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण	2070	...	16.00	16.00	...	22.00	22.00	...	20.95	20.95	...	25.30	25.30
<b>जोड़-अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>			<b>71.36</b>	<b>71.36</b>		<b>81.12</b>	<b>81.12</b>		<b>84.74</b>	<b>84.74</b>		<b>107.12</b>	<b>107.12</b>
<b>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>													
7. अन्य व्यय (परिसमापन न्यायालय का कार्यालय, कोलकाता)	3475	...	0.50	0.50	...	0.52	0.52	...	0.52	0.52	...	0.47	0.47
8. विनियम/व्याज दर भिन्नता के लिए आईसीआईसीआई बैंक को भुगतान	3475	...	...	...	...	69.09	69.09	...	69.09	69.09	...	...	...
<b>जोड़-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>			<b>0.50</b>	<b>0.50</b>		<b>69.61</b>	<b>69.61</b>		<b>69.61</b>	<b>69.61</b>		<b>0.47</b>	<b>0.47</b>
<b>लोक निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय</b>													
9. ऋण वसूली न्यायाधिकरण													
9.01 डी.आर.टी. चंडीगढ़ की इमारत के निर्माण के लिए भूमि की खरीद	4059	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
<b>औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं</b>													
10. नोडल अभिकरणों अर्थात् राष्ट्रीय आवास बैंक को सविस्डी का भुगतान	2885	...	300.00	300.00	...	400.00	400.00	...	500.00	500.00	...	200.00	200.00
11. एसएसएफ को जारी प्रतिभूतियों का मोचन													

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
11.01 सकल व्यय	2885	...	300.00	300.00	...	...	...	...	300.00	300.00	...	...	...
11.02 घटाइए - आईडीबीआई की दोषग्रस्त परिसंपत्तियों की वसूली	6885	...	-300.00	-300.00	...	...	...	...	-300.00	-300.00	...	...	...
	<i>कुल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12. औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश													
12.01 भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्सिम बैंक)	4885	300.00	...	300.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	700.00	...	700.00
12.02 भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लि. (आईआईएफसीएल में इक्विटी पूंजी)	4885	500.00	...	500.00	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00
<i>जोड़- औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश</i>		<i>800.00</i>	...	<i>800.00</i>	<i>600.00</i>	...	<i>600.00</i>	<i>600.00</i>	...	<i>600.00</i>	<i>1100.00</i>	...	<i>1100.00</i>
13. विदेशी सहायता प्राप्त घटक के लिए आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान	2885	...	...	...	...	8.90	8.90	...	8.90	8.90	...	0.01	0.01
<b>जोड़-औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं</b>		<b>800.00</b>	<b>300.00</b>	<b>1100.00</b>	<b>600.00</b>	<b>408.90</b>	<b>1008.90</b>	<b>600.00</b>	<b>508.90</b>	<b>1108.90</b>	<b>1100.00</b>	<b>200.01</b>	<b>1300.01</b>
<b>कृषि वित्तीय संस्थाएं</b>													
14. महिला स्व-सहायता विकास निधि के सृजन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को सहायता अनुदान	2416	100.00	...	100.00	200.00	...	200.00	...	...	...	100.00	...	100.00
15. कृषि वित्तीय संस्थाओं को पूंजीगत सहायता													
15.01 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास (नाबार्ड) बैंक की शेयर पूंजी में अभिदान	4416	1000.00	...	1000.00	500.00	...	500.00	1000.00	...	1000.00	700.00	...	700.00
15.02 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए सरकार का अंशदान	4416	402.43	...	402.43	200.00	...	200.00	535.00	...	535.00	88.00	...	88.00
<i>जोड़- कृषि वित्तीय संस्थाओं को पूंजीगत सहायता</i>		<i>1402.43</i>	...	<i>1402.43</i>	<i>700.00</i>	...	<i>700.00</i>	<i>1535.00</i>	...	<i>1535.00</i>	<i>788.00</i>	...	<i>788.00</i>
16. अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे के सुदृढीकरण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से अनुदान	2416	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	...	...
17. किसानों को अल्प अवधि ऋण मुहैया कराने के लिए ब्याज सहायता	2416	...	3282.70	3282.70	...	6000.00	6000.00	...	5400.00	5400.00	...	6000.00	6000.00
18. दीर्घावधि सहकारी ऋण तंत्र की पुनः व्यवस्था	2416	...	...	...	...	500.00	500.00	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
19. वित्तीय समावेशन कोष को अंशदान	2416	...	10.00	10.00	...	20.00	20.00	...	...	...	...	...	...
20. वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी कोष को अंशदान	2416	...	10.00	10.00	...	30.00	30.00	...	...	...	...	...	...
21. कृषि वित्तीय संस्थानों के सम्बन्ध में खर्च न किए गए शेष की वसूली काट लें	2416	...	-1265.66	-1265.66	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-कृषि वित्तीय संस्थाएं</b>		<b>1502.43</b>	<b>2037.04</b>	<b>3539.47</b>	<b>900.00</b>	<b>6550.01</b>	<b>7450.01</b>	<b>1535.00</b>	<b>5400.02</b>	<b>6935.02</b>	<b>888.00</b>	<b>6000.01</b>	<b>6888.01</b>
<b>सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं</b>													
22. भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयरों में राइट	3465	...	625.00	625.00	...	625.00	625.00	...	625.00	625.00	...	625.00	625.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
इश्यु में अंशदान के एवज में जारी प्रतिभूतियों के मोचन के लिए प्रतिभूति मोचन निधि में अंतरण सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा बीमा कंपनियों में निवेश													
23.01 राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण	5465	...	...	...	...	...	...	...	...	14000.00	...	14000.00	
23.02 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको का पुनः पूंजीकरण	5465	12000.00	...	12000.00	14588.00	...	14588.00	12517.00	...	12517.00	14000.00	...	14000.00
23.03 घटाइए-राष्ट्रीय निवेश निधि से प्राप्त धनराशि	5465	...	...	...	...	...	...	...	...	-14000.00	...	-14000.00	
	<i>कुल</i>	<i>12000.00</i>	...	<i>12000.00</i>	<i>14588.00</i>	...	<i>14588.00</i>	<i>12517.00</i>	...	<i>12517.00</i>	<i>14000.00</i>	...	<i>14000.00</i>
24. भारतीय जीवन बीमा निगम की इक्विटी पूंजी	5465	95.00	...	95.00	...	...	...	...	...	...	...	...	
25. विश्व बैंक के तहत सहायता प्राप्त सूक्ष्म वित्त परियोजना के अन्तर्गत भारत में सूक्ष्म वित्त की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को विश्व बैंक द्वारा दी गई सहायता	6885	...	14.00	14.00	...	14.00	14.00	...	1.00	1.00	...	12.40	12.40
26. एक भारत माइक्रोफाइनेन्स इक्विटी फंड बनाने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को वित्तीय सहायता	3465	100.00	...	100.00	...	...	...	...	...	100.00	...	100.00	
27. गोआ के बैंकों को ब्याज सस्मिडी	2885	...	0.04	0.04	...	...	...	...	...	...	...	...	
<b>जोड़-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं</b>	<b>12195.00</b>	<b>639.04</b>	<b>12834.04</b>	<b>14588.00</b>	<b>639.00</b>	<b>15227.00</b>	<b>12517.00</b>	<b>626.00</b>	<b>13143.00</b>	<b>14100.00</b>	<b>637.40</b>	<b>14737.40</b>	
<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>													
28. किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना													
28.01 किसान ऋण राहत कोष को अंतरण	2235	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
28.02 किसानों को ऋण माफी और ऋण राहत के लिए ऋण संस्थाओं को भुगतान													
28.02.01 सकल व्यय	2235	...	1176.39	1176.39	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	
28.02.02 घटाइए - किसानों को ऋण राहत निधि से प्राप्त राशि	2235	...	-1176.39	-1176.39	...	-0.01	-0.01	...	...	...	...	...	
	<i>कुल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
28.03 उधार संस्थाओं को ब्याज का भुगतान	2235	...	178.46	178.46	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	...	
<i>जोड़- किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना</i>	...	...	<i>178.46</i>	<i>178.46</i>	...	<i>0.02</i>	<i>0.02</i>	...	<i>0.02</i>	<i>0.02</i>	...	<i>0.01</i>	<i>0.01</i>
29. समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को आर्थिक सहायता	2235	...	13.60	13.60	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	...	
30. वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना के लिए जीवन बीमा निगम को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	2235	...	182.04	182.04	...	182.25	182.25	...	140.00	140.00	...	134.23	134.23
31. सरकारी सह-अंशदान असंगठित क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वावलम्बन स्कीम													

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014				
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़		
31.01	स्वाभिमान स्कीम के तहत नई पेंशन स्कीम के अभिदाताओं को सरकार का अंशदान	2235	...	30.00	30.00	...	200.00	200.00	...	110.00	110.00	...	150.00	150.00
31.02	स्वावलम्बन स्कीम के तहत नामांकन तथा अंशदान के लिए संबर्धक तथा विकास गतिविधियों के लिए वित्तीय मदद	2235	...	10.00	10.00	...	20.00	20.00	...	18.00	18.00	...	20.00	20.00
	जोड़- सरकारी सह-अंशदान असंगठित क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वावलम्बन स्कीम		...	40.00	40.00	...	220.00	220.00	...	128.00	128.00	...	170.00	170.00
32.	जनश्री बीमा योजना के लिए एलआईसी द्वारा धारित सामाजिक सुरक्षा निधि को बढ़ाने के लिए सरकारी अंशदान	2235	...	100.00	100.00	...	175.00	175.00	...	175.00	175.00	...	...	...
33.	आम आदमी बीमा योजना में सरकार का योगदान	2235	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.01	5.01
34.	अप्रयुक्त शेष की वसूलियां घटाएँ	2235	...	-1.78	-1.78	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	<b>जोड़-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>		...	<b>512.32</b>	<b>512.32</b>	...	<b>577.28</b>	<b>577.28</b>	...	<b>443.03</b>	<b>443.03</b>	...	<b>309.25</b>	<b>309.25</b>
	<b>कुल जोड़</b>		<b>14497.43</b>	<b>3581.78</b>	<b>18079.21</b>	<b>16088.00</b>	<b>8349.23</b>	<b>24437.23</b>	<b>14652.00</b>	<b>7160.42</b>	<b>21812.42</b>	<b>16088.00</b>	<b>7281.39</b>	<b>23369.39</b>
	<b>विकास शीर्ष</b>		<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. वा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. वा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. वा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. वा. सं.</b>	<b>जोड़</b>
<b>ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>														
1.	भारतीय निर्यात-आयात बैंक	12885	300.00	...	300.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	700.00	...	700.00
2.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	12885	500.00	...	500.00	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00
3.	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	12435	1000.00	...	1000.00	500.00	...	500.00	1000.00	...	1000.00	700.00	...	700.00
4.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	12435	402.43	...	402.43	200.00	...	200.00	535.00	...	535.00	88.00	...	88.00
5.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	13475	12000.00	...	12000.00	14588.00	...	14588.00	12517.00	...	12517.00	14000.00	...	14000.00
<b>जोड़</b>			<b>14202.43</b>	...	<b>14202.43</b>	<b>15888.00</b>	...	<b>15888.00</b>	<b>14652.00</b>	...	<b>14652.00</b>	<b>15888.00</b>	...	<b>15888.00</b>
<b>ग. योजना परिव्यय</b>														
1.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	12195.00	...	12195.00	14588.00	...	14588.00	12517.00	...	12517.00	14100.00	...	14100.00
2.	उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	12885	800.00	...	800.00	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00	1100.00	...	1100.00
3.	अन्य कृषि कार्यक्रम	12435	1502.43	...	1502.43	900.00	...	900.00	1535.00	...	1535.00	888.00	...	888.00
<b>जोड़</b>			<b>14497.43</b>	...	<b>14497.43</b>	<b>16088.00</b>	...	<b>16088.00</b>	<b>14652.00</b>	...	<b>14652.00</b>	<b>16088.00</b>	...	<b>16088.00</b>

1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं: यह प्रावधान वित्तीय सेवा विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **अन्य राजकोषीय सेवाएं (विशेष न्यायालय तथा अभिरक्षक का कार्यालय):** यह प्रावधान प्रतिभूतियों में होने वाले लेन-देनों में अनियमितताओं की जांच करने हेतु विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अपराधों की जांच) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत स्थापित अभिरक्षक तथा विशेष न्यायालय के कार्यालय के लिए है।
- 3-6. **अन्य प्रशासनिक सेवाएं:** यह प्रावधान औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, ऋण वसूली अधिकरण तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को अनुदान प्रदान करने के लिए है।
7. **अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (परिसमापक न्यायालय कार्यालय, कोलकाता):** यह प्रावधान परिसमापक न्यायालय के कार्यालय, कोलकाता के लिए है।
8. **विनिमय भिन्नता के लिए आईसीआईसीआई बैंक को भुगतान:** यह आईवीआरडी से ऋण के संबंध में आईसीआईसीआई बैंक को विनिमय/ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के कारण भुगतान के लिए है।
9. **ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़:** यह प्रावधान भूमि की खरीद और ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी.आर.टी.), चंडीगढ़ के लिए भूमि की खरीद और इमारत के निर्माण के लिए है।
10. **प्रमुख एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय आवास बैंक को सस्मिडी का भुगतान:** यह प्रावधान नोडल एजेंसियों यानी राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से 15.00 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर 1% ब्याज छूट प्रदान करने के लिए है। ब्याज सस्मिडी राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ पंजीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से प्रदान की जाती है।
11. **भारगस्त परिसंपत्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को जारी प्रतिभूतियों का मोचन:** एसएएसएफ ट्रस्ट डीड के प्रावधान के अनुरूप एसएएसएफ भारगस्त तथा निष्क्रिय परिसंपत्ति में से वसूल की गई धनराशि को भारत सरकार को विप्रेषित कर रहा है तथा भारत सरकार एसएएसएफ से प्राप्त धनराशि को आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को भुगतान कर रही है। इस संबंध में आईडीबीआई बैंक लि. को भुगतान करने के लिए तदनुसार प्रावधान किया गया है।
- 12.01. **भारतीय निर्यात-आयात (एक्सिस बैंक):** एक्जिम बैंक आयातों और निर्यातों में सहायता करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है और देश का अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के दृष्टिगत वस्तुओं और सेवाओं में निर्यात व आयात के वित्तपोषण में लगी संस्थाओं के कार्यकरण के समन्वयन हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है। यह प्रावधान एक्जिम बैंक को इसकी अधिकृत पूंजी के स्तर तक इसकी चुकता पूंजी बढ़ाने के लिए सहायता इक्विटी अभिदान के रूप में इसे निधियां जारी करने के लिए है।
- 12.02. **भारत अवसंरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल):** आईआईएफसीएल बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए अन्य ऋणों की अनुपूर्ति करने के लिए पात्र परियोजना को सीधे निधियाँ, विशेषकर दीर्घावधिक परिपक्वता वाले ऋण प्रदान करता है। कम्पनी दीर्घावधिक अवसंरचना वित्त के अंतर को पूरा करेगी जिसका निवारण करने में बैंक आस्तियों तथा देयताओं में असंतुलन की समस्याओं के कारण असमर्थ हैं। व्यवसाय कार्यक्रम तथा पूंजी अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान आईआईएफसीएल को इक्विटी सहायता के लिए है।
13. **विदेशी सहायता प्राप्त घटक के लिए आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान:** यह अनुदान सं. 386-0-542 (ईसीओ) के तहत अमरीकी सहायता से सरकार को प्राप्त निधियों अनुदान सं. 386-0-496 (पैकट-सीआरएच) के तहत अमरीकी सहायता तथा केएफडब्ल्यू-ब्याज विभेदक निधि के तहत आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान के कारण आईसीआईसीआई बैंक को अनुदानों के भुगतान के लिए है।
14. **महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि के सृजन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) को अनुदान:** यह प्रावधान बजट घोषणा 2011-12 के अनुसरण में महिलाओं को उनके स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए नाबाई के साथ महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि के सृजन के लिए है।
- 15.01. **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) की शेयर पूंजी में अभिदान:** यह प्रावधान नाबाई की पूंजी बढ़ाने के लिए है।
- 15.02. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनः पूंजीकरण हेतु सरकारी अंशदान:** यह प्रावधान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए है।
16. **अल्पावधिक सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) के सुदृढीकरण हेतु नाबाई को अनुदान:** यह प्रावधान प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) के साथ शुरू अल्पावधि सहकारी ऋण सहायता संरचना के विभिन्न स्तरों के पुनःपूंजीकरण हेतु नाबाई को अनुदान जारी करने के लिए है।
17. **किसानों को अल्प अवधि ऋण मुहैया कराने के लिए ब्याज सहायता:** यह प्रावधान किसानों को सस्मिडीकृत ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण प्रदान करने के लिए नाबाई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ब्याज सहायता के लिए है।
18. **दीर्घावधिक सहकारी ऋण तंत्र की पुनः व्यवस्था (एलटीसीसीएस):** यह प्रावधान देश में दीर्घावधिक सहकारी ऋण तंत्र को सुदृढ बनाने के लिए सुधारात्मक उपाय करने हेतु राज्यों और सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए नाबाई को अनुदानों का भुगतान करने के लिए है।
22. **भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इक्विटी शेयरों के राइट्स इश्यू में सदस्यता के खिलाफ जारी की गई प्रतिभूति के लिए प्रतिभूति मोचन निधि स्थानांतरण:** यह प्रावधान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इक्विटी शेयरों के राइट्स इश्यू के अभिदान के एवज में जारी किए गए प्रतिभूति के उन्मोचन के लिए प्रतिभूति मोचन निधि को हस्तांतरण के लिए है।
- 23.02. **सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनः पूंजीकरण:** यह प्रावधान सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनः पूंजीकरण करने के लिए है जिससे वे अपने टीयर-1 सीआरएआर को बांछित स्तर पर रखने में समर्थ हो सकें।
24. **एलआईसी की भारत के इक्विटी पूंजी:** यह एलआईसी की पूंजी आधार बढ़ाने के लिए है।

25. **लघुवित्त परियोजना की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को विश्व बैंक सहायता:** इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (आईडीए) से ऋण के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के लिए 100 मिलियन यूएस डॉलर (450.00 करोड़ रुपए) के पास एक प्रविष्टि के माध्यम से प्रदान करते हैं।
26. **एक भारत माइक्रोफाइनांस इक्विटी फंड बनाने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को वित्तीय सहायता:** यह प्रावधान बजट घोषणा 2011-12 के अनुसरण में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में 100 करोड़ रुपए की भारत माइक्रोफाइनांस इक्विटी निधि बनाने के लिए है।
27. **गोवा के बैंकों को ब्याज सब्सिडी:** प्रावधान गोवा बैंकों को ब्याज सब्सिडी का भुगतान करने के लिए है।
29. **सामुदायिक सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनियों को सब्सिडी:** यह प्रावधान सामुदायिक सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए है।
30. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेन्शन योजना हेतु एलआईसी को ब्याज सब्सिडी:** यह प्रावधान पॉलिसीधारकों को पेंशन/वार्षिकी के लिए ब्याज सब्सिडी के भुगतान हेतु तथा पालिसी धारकों के नामितियों को खरीद मूल्य के बराबर एकमुश्त राशि अदा करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के लिए किया गया है।
31. **असंगठित क्षेत्र के लोगों को नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल होने के लिए बढ़ावा देने हेतु स्वावलंबन योजना:** यह बजट भाषण 2010-11 में वित्त मंत्री द्वारा घोषित स्वावलंबन योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। योजना असंगठित क्षेत्र में उनकी सेवानिवृत्ति हेतु स्वेच्छा से बचत करने हेतु उन्हें नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल करने के उद्देश्य से है।
33. **आम आदमी बीमा योजना के लिए सरकार का अंशदान:** यह प्रावधान आम आदमी बीमा योजना के तहत ने सामाजिक सुरक्षा और छात्रवृत्ति कोष के लिए सरकार के अंशदान की व्यवस्था करने के लिए है।
34. **अव्ययित बचत की वसूलियां घटाइए:** सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए संबंधित अव्ययित बचत की वसूलियां इंगित करता है।